राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट:– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेल:– hrd.cce/gmail.com फोन न. 0141–2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/पार्ट–1/ दिनांक:–

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(राजसेस/कृषि/विधि/राजसेस विषय)
राजस्थान

विषय:– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के क्रम में लेख है कि **"विद्या संबल योजना"** अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। योजनान्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर **आवश्यकतानुसार आमंत्रित शिक्षक** के रूप में कार्य लेने की Enabling Scheme है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष पूर्व रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आंकलन कर आवश्यकतानुसार विद्या संबंल योजना में दी गई प्रकिया का पूर्ण पालना करते हुए आमंत्रित शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे–

1. सत्र 2024–25 में सत्र प्रणाली के अन्तर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी से पाठयक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2025 तक जो भी पहले हो तक ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किये जाने है। जिन महाविद्यालय में सत्र प्रणाली लागू नहीं है तो आवश्यकतानुसार सेमेस्टर प्रारम्भ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रिता किया जाना सुनिश्चित करें। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन क़ार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी ज़ो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।

RajKaj Ref
8029676

Signature valid
Digitally signed by Keshav Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.06.21 17:43:17 IST
Reason: Approved

4. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जॉच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी हैं तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

5. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबंल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गैस्ट फैकल्टी को सत्र 2024-25 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना है:-

प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे	अवधि
800/-	14 घंटे	अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावे।

6. विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. उक्त योजना शपथ पत्र के बिन्दुं संख्या 07 *"यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2025 जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।"* तथा बिन्दु संख्या 08 *"इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।"* के अध्याधीन रहेगी।

8. नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

RajKaj Ref 8029676

Signature valid
Digitally signed by Keshav Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.06.21 1?:43:17 IST
Reason: Approved

विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण कर लेवे तथा दिनांक 01.07.2024 से जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है, उनमें आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 01 जुलाई से आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—

1 वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023
2 पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
3 पैनल बनाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश
4 गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने का प्रारूप
5 गेस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र
6 महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के नियमों की प्रति

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

02. प्राचार्य, नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

03. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.06.21 1?:43:17 IST
Reason: Approved